राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	615/2015 सीताराम बनाम उपखण्ड अधिकारी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.10.25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 07/10/2025 को पेश हो।	
07.10.25	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी/प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर प्रार्थी/अपीलार्थी की एकपक्षीय बहस समायत करते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 08/12/2015 पारित करते हुये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को ख़ारिज फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी-अपनी मौखिक बहस की। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की एकपक्षीय बहस समायत कर अपीलाधीन अन्तरिम आदेश पारित किया गया है तथा दोनो पक्षों को सुनकर युक्तियुक्त आदेश पारित किया जाना अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अभी शेष है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी प्रथमदृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के बिन्दु को अपने पक्ष में प्रथमदृष्टया सिद्ध करने में असफल रहे है। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन अन्तरिम आदेश दिनांक 08/12/2015 में कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत नही होने से अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 07/10/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	